

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा

Rest House, Kishorpura Kota- 324009 E-Mail:- ccffdp.kota@gmail.com Tel. no. 0744- 2500194

क्रमांक एफ()एफसीए/समुवसं/2025-26/
निमित्त:-

1605

दिनांक:- 20/02/2026

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक
राजस्थान, जयपुर।

विषय:- चौराखेडी से नयागांव वाया महेशपुरा सडक निर्माण के वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
बाबत।

Proposal ID no. FP/RJ/ROAD/34657/2028 (1.872 ha)

प्रसंग:- आपका पत्रांक 134 दिनांक 29.01.2025 एवं उप वन संरक्षक, बारां का पत्रांक 1433
दिनांक 28.01.2026 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों के क्रम में निवेदन है कि उक्त पत्र में दिये गये निर्देशानुसार वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 36 (ख) के प्रावधान की अनुपालना में संरक्षण आरक्षिति के संरक्षण प्रबन्धन और रखरखाव में श्रीमान को सलाह देने के लिये संरक्षण आरक्षिति प्रबंधन समिति का गठन किया हुआ है। उक्त प्रस्तावित सडक वन भूमि शाहबाद तलहटी कन्जर्वेशन रिजर्व अन्तर्गत है जिसके लिये संरक्षण आरक्षिति प्रबंधन समिति की अभिशंषा/टिप्पणी चाही गई है।

उक्त के क्रम में दिनांक 28.01.2026 को उप वन संरक्षक, बारां के निर्देशन में शाहाबाद तलेटी कन्जर्वेशन रिजर्व की बैठक आहूत की गई जिसकी रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है।
संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

(सोनल जौरिहार)

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा

क्रमांक एफ()एफसीए/समुवसं/2025-26/

1606

दिनांक: 20/02/2026

प्रतिलिपि प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए, राजस्थान, जयपुर
को सूचनार्थ प्रेषित है।

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा

कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail-dcf.brn.forest@rajnshn.gov.in, Tel.No., 074538230244

क्रमांक 0 एफ () / एफ.सी.ए. / उ.व.स. / 2024 -25 / 1433

दिनांक 28-01-2026

निमित्त:-

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा।

विषय:- चोराखेडी से नया गांव वाया महेशपुरा सडक निर्माण के वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव बाबत।

Proposal ID no. FP/RJ/ROAD/34657/2018 (1.872 ha)

संदर्भ:- प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक राज 0 जयपुर के पत्र क्रमांक 134 दिनांक 29.01.2025 एवं आपका पत्र दिनांक 25.07.2025 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि उक्त पत्र में दिये गये निर्देशानुसार वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 36 (ख) के प्रावधान की अनुपालना में संरक्षण आरक्षित के संरक्षण प्रबंधन और रखरखाव में श्रीमान मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक को सलाह देने के लिये संरक्षण आरक्षित प्रबंधन समिति का गठन किया हुआ है। उक्त प्रस्तावित सडक वन भूमि झाहबाद तलहटी कन्जर्वेशन रिजर्व अन्तर्गत है जिसके लिये संरक्षण आरक्षित प्रबंधन समिति की अभिशंषा / टिप्पणी चाही गई है।

उक्त के क्रम में दिनांक 28.01.2026 को मितिंग आहूत की गई जिसकी रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न- उपरोक्तानुसार

(बडे विवेकानंद माणिकराव)
उप वन संरक्षक
बारां

क्रमांक 0 एफ () / एफ.सी.ए. / उ.व.स. / 2024 -25 / 1434-35 दिनांक 28-01-2026

निमित्त:- प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक राज 0 जयपुर।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रोटेक्शन एव नोडल अधिकारी राज 0 जयपुर।


(बडे विवेकानंद माणिकराव)
उप वन संरक्षक
बारां

शाहाबाद तलेटी कन्जर्वेशन रिजर्व दिनांक 28.01.2026 बैठक विवरण निम्नानुसार है।

आज दिनांक 28.01.2026 को शाहाबाद तलेटी कन्जर्वेशन रिजर्व के अन्तर्गत की वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 36ख की अनुपालना में मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक को परामर्श देने हेतु संरक्षण आरक्षित प्रबंध समिति की प्रथम बैठक आयोजित की गई।

बैठक के दौरान चौराखाडी वाया नयागांव महेशपुर सडक निर्माण के वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव Proposal Id No.FP/RJ/ROAD/34657/2018(1.872 HA.) की अभिशंषा पर चर्चा की गई।
विस्तृत चर्चा के बाद संरक्षण आरक्षित प्रबंधन समिति के सदस्यों की बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किये गये।

7. बैठक के उद्देश्य और प्रक्रियाओं को स्थानीय भाषाओं में समझाया गया।
8. चौराखाडी वाया नयागांव महेशपुर सडक निर्माण कार्य PWD शाहाबाद द्वारा कराया जायेगा।
9. सडक निर्माण में कुल 1.872 HA. वन भूमि की आवश्यकता होगी। वन्य सम्पदा एवं वन्यजीवों के प्रभावों को कम करने हेतु वन्यजीव प्रबंधन योजना बनाई गई है।
10. सडक निर्माण में जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि 1.872 HA. के बदले शाहाबाद वन क्षेत्र के अन्तर्गत समतुल्य वन भूमि पर वृक्षारोपण का प्रस्ताव किया गया जो उचित है।
11. शाहाबाद तलेटी कन्जर्वेशन रिजर्व के अन्तर्गत आने वाली आरक्षित वन भूमि 1.872 HA. जो सडक निर्माण में काम आयेगी आवश्यक है।
12. शाहाबाद तलेटी संरक्षण आरक्षित प्रबंध समिति, 1.872 HA भूमि के डायवर्जन के प्रस्ताव से सहमत है।


क्षेत्रीय वन अधिकारी
शाहाबाद


उप वन संरक्षक
बारां
(28-01-2026)